सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2022 / 259 दर्ज तिथिः—10.08.2022

1. सवाराम पुत्र खीमाराम
   जाति राईका, निवासी जूनी उन्दरी, ग्राम पंचायत भाम्भूनगर तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर

— प्रार्थी

बनाम

1. होथी वल्द तगाराम
2. माहींगा वल्द तगाराम
3. बाबू वल्द तगाराम
4. दला वल्द दुर्गा
5. गोदा वल्द दुर्गा
6. धनाराम वल्द दुर्गा
7. प्रबता वल्द चेला
8. पांचाराम वल्द चेला
   जाति कलबी साकिन जूनी उन्दरी
9. गोरधनराम वल्द मलाराम
10. चून्नी पत्नी शेराराम
11. जालाराम वल्द मलाराम
12. जीयाराम वल्द शेराराम
13. पदमाराम वल्द मलाराम
14. भलाराम वल्द शेराराम
15. लूम्बाराम वल्द शेराराम
16. विशनाराम वल्द शेराराम
17. भोजाराम वल्द गोमाराम
    कौम जाट साकिन आडेल हाल जूनी उन्दरी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री चिमनसिंह चौधरी।
अप्रार्थीगणः— श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—19.09.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 175 / 1 / 3.0675 है. वाके ग्राम जूनी उन्दरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा आदेशांक दिनांक 24.06.2022 द्वारा हल्का पटवारी धोलानाडा को उक्त आराजी के सीमाज्ञान हेतु निर्देशित किया गया। हल्का पटवारी धोलानाडा दिनांक 29.06.2022 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील अप्रार्थी संख्या 09 ता 16 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परंतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 09 ता 16 का जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को पत्र क्रमांक कोर्ट / 2024 / 245 दिनांक 11.03. 2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का धोलानाडा ने दिनांक 09.04.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम जूनी उंदरी में राजस्व नक्शा में ऑवरलेपिंग की वजह से सीमाज्ञान व नेखमबंदी संभव नहीं है। अतः वास्तविक कब्जे के आधार पर अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की नेखमबंदी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as [illegible]daries.****—(1) In case of any dispute concerning any boun[illegible]es t[illegible] Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possi[illegible] on the basis of the existing*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 वाके ग्राम जूनी उन्दरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा में राजस्व इन्द्राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके जूनी उन्दरी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। पत्रावली पर सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि राजस्व ग्राम जूनी उंदरी में राजस्व नक्शा में ऑवरलेपिंग की वजह से सीमाज्ञान व नेखमबंदी संभव नहीं है। ऐसे प्रकरण जहां वर्तमान राजस्व नक्शा से आराजी खसरे की सीमाओं का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के अनुसार वास्तविक कब्जे के आधार पर खसरे की सीमा का निर्धारण किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। उक्त विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी

175 / 1 / 3.0675 है. वाके ग्राम जूनी उन्दरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि सर्वप्रथम वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। द्वितीय अगर वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार सीमा निर्धारण सम्भव नहीं हो तो बन्दोबस्त के मूल नक्शे के अनुसार सीमा निर्धारण किया जावे। तृतीय अगर बन्दोबस्त के मूल नक्शे के अनुसार सीमा निर्धारण सम्भव नहीं हो तो प्रार्थी के खातेदारी आराजी के रकबे की सीमा तक वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमा निर्धारण किया जावे। साथ ही अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested